

25/7/08/17

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये

पत्रावली पेश। ~~उपरोक्त~~ ~~कार्यवाही~~ ~~के~~ ~~द्वारा~~ ~~से~~ ~~कार्यवाही~~ ~~करवा~~ ~~गया~~ ~~है~~
पत्रावली दिनांक 23-5-18 को पेश की ~~गयी~~
रखी। नाप्रस

(6)

10/3/18 वाजयत पत्रावली राजाज लीड अदालत
अदालत सेवा डेप्ट बस इन्वायण्ट पल पेश
हुये नदीन वाशी एवं जे (लायल डप) ~~के~~
अपपक्ष को सुना तथा पत्रावली डा अफिलड
रिया। पक्षदारी के मध्य मूल वादविशय
डा है विवाह डाराजी में खमी पक्षदारी
के हित सिद्ध है वाद के निस्तारण से
पूर्व डी डी पक्षवा डाय मोडे के
पक्ष को बचला जाता है तो पक्षदारी
के मध्य डाना वश्यत मु डदगे पानी बरेजी
एली डिशरि में हम अपपक्ष को मोडे
की मध्यम डिशरि बनाये रखे हेतु
पावन्ड रिया जाना दायित्व खम डारे है।
नातः आदेश है डि प्रां पत्र 212
प्रा डिल निस्तारण डट अपपक्ष को
नाहने अदालत निधेपारण मुल वाद
के निस्तारण लत पावन्ड रिया जाना
है डि वह विवाह डाराजी 190-70
2946 वाडे गाय बसहे-प्रा 11 पल
मोडे डी मथा डिशरि बनाये रखे।
पत्रावली केवल मुगल लो डट मूल
वाद डी पत्रावली के लाय डेलग
रहे

राम



खण्ड अधिकारी सैफर
पीलसीन अधिकारी लोक अदालत/लेन कोटी